08/07/25

पत्रावली का स्वे निर्णय पेश हुई। उपस्थ पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा गया नंबर से दर्ज हो आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/137

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 59/2021 GCMS:-2021/137 दायर दिनांक : 10.06.2021

मनजीत सिंह पुत्र नरदेव सिंह उर्फ बलदेव सिंह पौत्र स्व. उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17, गुरूद्वारा व माता जीतोजी कॉलेज के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –प्रार्थी

बनाम

1. नरदेव सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17, गुरूद्वारा व माता जीतोजी कॉलेज के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. रणजीत सिंह
3. सुरजीत सिंह

पिसरान नरदेव सिंह उर्फ बलदेव सिंह पौत्रगण स्व. उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17, गुरूद्वारा व माता जीतोजी कॉलेज के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

4. गुरदेव सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 बी.एन.पी.एम. ढ़ाणी, रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत)
   - 4/1. गुरनाम कौर पत्नी स्व. गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 बी.एन.पी.एम. ढ़ाणी, रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 4/2. मुख्तायार सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 बी.एन.पी.एम. ढ़ाणी, रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 4/3. सीतो पुत्री स्व. गुरदेव सिंह पत्नी जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम सुजोलपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
   - 4/4. सीबो पुत्री स्व. गुरदेव सिंह पत्नी जगदीश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
5. मेघसिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 बी. एन.पी.एम. ढ़ाणी, रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. जगजीत सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 बी.एन.पी.एम. ढ़ाणी, रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

7. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

8. शाखा प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

9. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 से 3
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी मनजीत सिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 2 बी.एन.पी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की संयुक्त खाता सं. 17/12 के पत्थर नं. 104/324 (18) के किला नं. 1 से 25 = 6.325 है0 में 1807/6325 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 (प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. में अप्रार्थी सं. 1) के नाम बतौर खातेदार अंकित है। यह भूमि अंकित काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 (अप्रार्थी सं. 1) नरदेव सिंह उर्फ बलदेव सिंह की स्वयं अर्जित सम्पत्ति न होकर विरासतन एवं पैतृक भूमि में हकत्याग के माध्यम से प्राप्त हुई है जो कि हिन्दू सहदायी परिवार की कृषि भूमि है जिसमें बतौर सहदायी सदस्य वादी (प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. में प्रार्थी) उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा का हक व हिस्सा रखता है जिसे घोषित कर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी ने वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादग्रस्त भूमि वाके चक 2 बी.एन.पी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

से 2079 की संयुक्त खाता सं. 17/12 के पत्थर नं. 104/324 (18) के किला नं. 1 से 25 = 6.325 है0 में अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित 1807/6325 हिस्सा भूमि की वाद निर्णय तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं बजरिये रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए दिनांक 10.06.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को वाके चक 2 बी.एन.पी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की संयुक्त खाता सं. 17/12 के पत्थर नं. 104/324 (18) के किला नं. 1 से 25 = 6.325 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित 1807/6325 हिस्सा भूमि को आगामी तारीख पेशी तक रहन–बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं किये जाने और मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 व 8 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 04.04.2022 को अप्रार्थीगण सं. 4/1 से 4/2, 5, 6, 7, 9 के विरुद्ध व दिनांक 02.05.2024 को अप्रार्थी सं. 4/4 के विरुद्ध एवं दिनांक 26.03.2025 को अप्रार्थी सं. 4/3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 व 8 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में अंकित तथ्यों से इन्कारी की एवं जैरप्रार्थना–पत्र भूमि स्वयं अर्जित बताते हुए उक्त भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक होने से इन्कार किया व प्रार्थी का भूमि पर कतई कब्जा नहीं होना बताकर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने का निवेदन किया। जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर पक्षकारान के तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कथन अप्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की दादी नन्दकौर पत्नी उत्तम सिंह के नाम से दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

राजस्व रिकॉर्ड थी और उनके स्वर्गवास उपरान्त वारिसान के नाम दर्ज हुई। भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं अर्जित नहीं, बल्कि माता से विरासतन व बहिनों द्वारा विरासतन भूमि में से हकत्याग से प्राप्त हुई है, जो वाद व प्रार्थना–पत्र के तथ्यों की स्वीकृति ही है। यह भूमि विरासतन प्राप्त होने से हिन्दू सहदायी सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र है जो बतौर सहदायी सदस्य उक्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा रखता है। वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द होने की सम्भावना है, इसलिए वाद दायरी के दिन की स्थिति कायम रखने हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो ताफैसला वाद वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा इसका अन्यत्र बजरिये रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करें। इस हेतु अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना व मौका पर कब्जा होने व भूमि का हस्तान्तरण होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना प्रकट की। तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकाशित न्याय निर्णय आर.बी.जे. (12) 2005 पेज सं. 512, 405 व आर.बी.जे. (1) 2010 पेज सं. 178 प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित है, वह माता से विरासतन व बहिनों से हकत्याग के माध्यम से अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुई है, जो सहदायी सम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आती। उक्त भूमि में प्रार्थी का ना तो कोई हक अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में है व ना ही उसका हक इस भूमि में स्वीकार किया गया है। उक्त सम्पत्ति सहदायी नहीं है व ना ही कभी परिवार सहदायी रहा है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 [illegible] पत्नी वृद्ध नागरिक हैं। प्रार्थी इनकी सेवा–चाकरी नहीं करता। अप्रार्थी सं. 1 [illegible] रहता है, इसलिए उसको पैसों की आवश्यक अधिक रहती है। भूमि पर पूरी मेहनत की है, अब वृद्धावस्था

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested

में अधिक मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए भूमि हस्तान्तरण करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त कर, पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने की प्रार्थना की। अप्रार्थी सं. 8 द्वारा भूमि रहन होने से उस पर किसी प्रकार की पाबन्दी आरोपित नहीं करने की प्रार्थना की।

पक्षकारों के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन ब मनन करने एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदरपूर्वक पठन करने के उपरान्त पाया कि चक 2 बी.एन.पी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की संयुक्त खाता सं. 17/12 के पत्थर नं. 104/324 (18) के किला नं. 1 से 25 = 6.325 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 1807/6325 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित है व शेष भूमि अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उभय पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं अर्जित न होकर माता से विरासतन व बहिनों द्वारा हकत्याग करने पर अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार की सम्पत्ति हिन्दू सहदायी सम्पत्ति की परिभाषा में आती है या नहीं एवं पुत्र का पिता की सम्पत्ति में उसके जीवनकाल में हक है अथवा नहीं, इन बिन्दुओं का निर्णय वाद की सुनवाई के बाद में होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय उद्धरण प्रकाशित आर.बी.जे. (12) 2005 पेज सं. 405 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "Son has a right by birth in ancestral land during life time of father – Temporary injunction granted against the father that he should not transfer the disputed land during the pendency of suit." इसके साथ ही यह प्राकृतिक न्याय एवं मान्य विधि सिद्धान्तों के अनुरूप भी है कि वादग्रस्त सम्पत्ति की ताफैसला वांद यथास्थिति [illegible] निर्णय तक बनायी रखी जावे ताकि सम्भावित वाद [illegible] में कोई व्यवधान पैदा न हो व वाद की बाहुल्यत[illegible] इस मामले में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुरूप पक्षकारों के कथनों की आ[illegible] समानता को ध्यान में रखते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादग्रस्त सम्पत्ति की यथास्थिति वाद निस्तारण तक बनाई रखी जानी उचित प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो चक 2 बी.एन. पी.एम.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की संयुक्त खाता सं. 17/12 के पत्थर नं. 104/324 (18) के किला नं. 1 से 25 = 6.325 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से अपने नाम अंकित 1807/6325 हिस्सा भूमि को वाद निर्णय तक बजरिये रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करें व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी अनुसार पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.06.2021 की अवधि ताफैसला बढ़ाई जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 08.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested